पत्रांक–03 / ADB–12–01 / 15 / न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
नगर विकास एंव आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक–

विषयः– ADB (एशियन डेवलपमेंट बैंक) से वित्तीय सहायता प्राप्त गया जलापूर्ति योजना प्रोजेक्ट–1 के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में केन्द्रांश रू0 44.6487 करोड़ (चौवालीस करोड़ चौसठ लाख सत्तासी हजार रू0 मात्र) सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2019–20 में राशि की निकासी की स्वीकृति।

आदेश :– स्वीकृत ।

विभागीय संकल्प सं0–595 दिनांक–28.03.2016 के द्वारा बिहार के शहरों के विकास के सैद्धान्तिक निर्णय के तहत आधारभूत सरंचनाओं की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा ADB से वित्तीय सहायता प्राप्त की गई है। इसके तहत गया जलापूर्ति प्रोजेक्ट–I एवं प्रोजेक्ट–II योजना की स्वीकृति राज्य सरकार के प्रस्ताव के आलोक में ADB द्वारा दी गई।

ADB Consultant की परामर्शी सेवा द्वारा कार्यान्वयन की रूप रेखा तैयार की गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक–2 / यो0 / दिनांक 22 / 07–**410 /** न0वि0एवंआ0वि0, दिनांक–24.05.11 द्वारा बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम (बुडको), पटना को योजना की कार्यान्वयन एजेंसी निर्धारित किया गया है।

2. गया जलापूर्ति योजना प्रोजेक्ट–1 के लिए स्वीकृत राशि का 70 प्रतिशत ADB से ऋण के रूप में एवं 30 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है। इस प्रकार योजना की कुल राशि 311.30 करोड़ रूपये में से 217.91 करोड़ रूपये ADB से ऋण एवं 93.39 करोड़ रूपये राज्य सरकार के द्वारा देय होगा।

3. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–53(2)/PF-S/2018-1205 दिनांक–13.11.2018 द्वारा 44.6487 करोड़ (चौवालीस करोड़ चौसठ लाख सत्तासी हजार रू0 मात्र) की राशि उपलब्ध करायी गयी है। बुडको द्वारा उक्त राशि की मांग पत्रांक–146 दिनांक–25.04.2019 द्वारा की गयी है। तदनुसार ADB (एशियन डेवलपमेंट बैंक) से वित्तीय सहायता प्राप्त गया जलापूर्ति योजना प्रोजेक्ट–1 के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में केन्द्रांश रू0 44.6487 करोड़ (चौवालीस करोड़ चौसठ लाख सत्तासी हजार रू0 मात्र) सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2019–20 में राशि की निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. स्वीकृत कुल रू0 44.6487 करोड़ (चौवालीस करोड़ चौसठ लाख सत्तासी हजार रू0 मात्र) की निकासी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा की जायेगी। राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.98 एवं पत्रांक–256 दिनांक–26.02.19 में निहित अनुदेशों के आलोक में सचिवालय कोषागार विकास भवन, बिहार, पटना से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 में की जायेगी तथा योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि बिहार शहरी विकास अभिकरण

(BUDA), पटना को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से एकमुस्त उपलब्ध करायी जाएगी, जिस राशि को आवश्यकतानुसार कार्यकारी एजेन्सी बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि0 (BUIDCO), पटना को RTGS के माध्यम से विमुक्त किया जाएगा।

5. राशि की निकासी के लिए CFMS के माध्यम से आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा।

6. ADB (एशियन डेवलपमेंट बैंक) सम्पोषित योजना की केन्द्रांश के समतुल्य ऋण की राशि की व्यवस्था भी बजट उपबंध के माध्यम से की जानी है तथा व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति हेतु विपत्र विभाग के माध्यम से ADB (एशियन डेवलपमेंट बैंक) के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जो ADB (एशियन डेवलपमेंट बैंक) से राज्य सरकार को भारत सरकार के माध्यम से वापस प्राप्त होगा।

7. राशि की निकासी हेतु वित्त विभाग के परिपत्र सं0–7355 बि (2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं की जायेगी। चूँकि यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है। इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम 270 के आलोक में टी0सी0 फार्म सं0–42 में राशि की निकासी की जायेगी। आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र, कार्यान्वयन एजेंसी बुडको द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा जिसे वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना एवं भारत सरकार एवं वित्त विभाग, बिहार को अवश्य भेजा जायेगा।

9. स्वीकृत राशि कुल रू0 44.6487 करोड़ (चौवालीस करोड़ चौसठ लाख सत्तासी हजार रू0 मात्र) की निकासी मांग सं0–48–मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य– लघुशीर्ष–001–निदेशन और प्रशासन उपशीर्ष–0501–बिहार नगरीय विकास परियोजना वाह्य संपोषित विपत्र कोड–48-2217800010501–विषय शीर्ष–0501.31.05–सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण, PFMS कोड–1383 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में की जायेगी। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में 150.00 करोड़ रू0 (एक सौ पचास करोड़ रू0 मात्र) का वजट उपबंध प्राप्त है।

10. राशि का व्यय ADB (एशियन डेवलपमेंट बैंक) से वित्तीय सहायता प्राप्त गया जलापूर्ति योजना प्रोजेक्ट–I के कार्यान्वयन हेतु किया जायेगा।

11. राशि की निकासी के प्रस्ताव में संचिका के पृ0– 56/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति दिनांक– 15/05/19 को प्राप्त है।

12. प्रस्ताव में विभागीय सक्षम प्राधिकार प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग का अनुमोदन संचिका के पृ0– 57 /टि0 पर दिनांक–20/05/19 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–03/ADB–12–01/15 /न0वि0एवंआ0वि0/ पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–03/ADB–12–01/15 08 /न0वि0एवंआ0वि0/ पटना, दिनांक– 20.5.15

प्रतिलिपि :–वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मा0 मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/अपर सचिव–सह–उप निदेशक, बुडा, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/योजना शाखा–2, नगर विकास एवं आवास विभाग/ नगर विकास एवं आवास विभाग/निदेशक, बिहार शहरी विकास अभिकरण, पटना/ बजट शाखा–2, नगर विकास एवं आवास विभाग/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना/जिला पदाधिकारी, गया/नगर आयुक्त, नगर निगम, गया/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/5/2015

प्रधान सचिव।